संख्याः 129541/52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023

प्रेषक,

**डा0 अहमद इकबाल,**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

**वित्त अनुभाग–1** :: देहरादून :: दिनांकः 27 जून, 2023

**विषयः–** **पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2023) की धनराशि संक्रमित करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2023) हेतु कुल देय संक्रमण से निम्न तालिका के कॉलम–4 में अंकित कुल ₹243.08 लाख (₹दो करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत) तथा कॉलम–5 में अंकित कुल ₹243,33.11 लाख (₹दो सौ तैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, संलग्नक–1) संबंधित निकायों को आवंटित करने हेतु, इस प्रकार कुल ₹245,76.19 लाख (₹ दो सौ पैंतालीस करोड़ छियहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(₹हजार में)

| क.सं. | निकाय का नाम | वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु कुल देय | केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1% | निकायों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संकमित धनराशि (3–4) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1- | नगर निगमें | 982402 | 9824 | 972578 |
| 2- | (1) नगर पालिका परिषदें (पुरानी) | 1160945 | 11613 | 1149332 |
| | (2) नगर पालिका परिषदें (नव सृजित) | 2500 | 0 | 2500 |
| | योग | **1163445** | **11613** | **1151832** |
| 3- | (1) नगर पंचायतें (पुरानी) | 286772 | 2871 | 283901 |
| | (2) नगर पंचायतें (नव सृजित) | 25000 | 0 | 25000 |
| | योग | **311772** | **2871** | **308901** |
| महायोग | | **2457619** | **24308** | 2433311 |

नोटः– आंकड़ें पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एव प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित/ अवमुक्त की जा रही है:–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संक्रमित की जा रही है।
2. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के कियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/ (वि.आ. निदे.) xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण

I/129541/2023

किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

3. वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के पत्र संख्या: 36/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांक: 03.04.2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संकमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की गई है।

4. संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यो एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथाः– कूड़ा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन कय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः–जीप और स्टॉफ कार कदापि कय नहीं किये जायेगें।

5. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संकमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।

6. आयोग द्वारा निकायों के परस्पर निर्धारित अंश के आधार पर यदि किसी निकाय को पूर्व में प्राप्त हो रहे अंतरण से कम अंतरण होता है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय को पूर्व में किये गये अंतरण के बराबर धनराशि अंतरित की जायेगी।

7. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष ₹1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में ₹1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से ₹50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति को हैं। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप, इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।

8. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संकमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. राज्य के वास्तविक निज कर राजस्व की प्राप्तियों में वृद्धि या कमी होने पर स्थानीय निकायों को अंतरित धनराशि की पुनर्गणना को जायेगी तद्नुसार ही अंतरित धनराशि का समायोजन किया जायेगा। वास्तविक निज कर राजस्व प्राप्तियों के आंकडें महालेखाकार से प्राप्त किये जायेंगे।

10. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 16/06/2023 10:22 AM

11. नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संक्रमित की जायेगी।

12. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांकः 30 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।

13. संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

14. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 111469/9 (150)/ 2019 /xxvii(1)/2023, दिनांकः 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामल की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

16. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्यय की अनुदान संख्या:07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा:–

<u>(1) शहरी स्थानीय निकाय (निर्वाचित):–</u>

| क.सं. | निकाय का नाम | लेखाशीर्षक | संक्रमित धनराशि (₹ह0में) |
|---|---|---|---|
| 1- | नगर निगमें | 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–01–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन। | 982402 |
| 2- | नगर पालिका परिषदें | 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–02–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन। | 1163445 |
| 3- | नगर पंचायतें | 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–03–नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन। | 311772 |
| योग | | | 2457619 |

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीय,

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 13-06-2023 11:47:31
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 16/06/2023 10:23 AM

I/129541/2023

संख्याः /2954/ /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023, तद्दिनांकत।

**प्रतिलिपि**:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी / शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी–नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

**(डा0 अहमद इकबाल)**
अपर सचिव।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 16/06/2023 10:23 AM

/129542/2023

संलग्नक–1

संख्याः I/129542 /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023

:: देहरादून :: दिनांकः 27 जून, 2023

समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संकमित धनराशि का निकायवार विवरण

(₹हजार में)

1–नगर निगम

| जनपद का नाम | क.सं. | शहरी स्थानीय निकाय का नाम | वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु देय संकमण | केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती (1%) | वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु निकायों को संकमित धनराशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0) | (01) | (02) | (03) | (04) | (5) | (06) |
| देहरादून | 1 | देहरादून | 372889 | 3729 | 369160 | 372889 |
| | 2 | ऋषिकेश | 50704 | 507 | 50197 | 50704 |
| हरिद्वार | 3 | हरिद्वार | 109876 | 1099 | 108777 | 109876 |
| | 4 | रुड़की | 89896 | 899 | 88997 | 89896 |
| नैनीताल | 5 | हल्द्वानी | 115283 | 1153 | 114130 | 115283 |
| पौड़ी गढ़वाल | 6 | कोटद्वार | 72346 | 723 | 71623 | 72346 |
| उद्यमसिंह नगर | 7 | काशीपुर | 81091 | 811 | 80280 | 81091 |
| | 8 | रुद्रपुर | 90317 | 903 | 89414 | 90317 |
| योग (1) नगर निगम | | योग | 982402 | 9824 | 972578 | 982402 |

2–नगर पालिका परिषदें

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्मोड़ा | 1 | अल्मोड़ा | 38466 | 385 | 38081 | 38466 |
| | 2 | रानीखेत | 13280 | 133 | 13147 | 13280 |
| बागेश्वर | 3 | बागेश्वर | 27408 | 274 | 27134 | 27408 |
| चमोली | 4 | गोपेश्वर | 26375 | 264 | 26111 | 26375 |
| | 5 | जोशीमठ | 29974 | 300 | 29674 | 29974 |
| | 6 | गौचर | 17706 | 177 | 17529 | 17706 |
| | 7 | कर्णप्रयाग | 16493 | 165 | 16328 | 16493 |
| चम्पावत | 8 | चम्पावत | 17486 | 175 | 17311 | 17486 |
| | 9 | टनकपुर | 19691 | 197 | 19494 | 19691 |
| | 10 | लोहाघाट (उच्चीकृत) | 9113 | 91 | 9022 | 9113 |
| देहरादून | 11 | मसूरी | 63916 | 639 | 63277 | 63916 |
| | 12 | विकासनगर | 24942 | 249 | 24693 | 24942 |
| | 13 | डोईवाला | 48177 | 482 | 47695 | 48177 |
| | 14 | हरबर्टपुर | 13672 | 137 | 13535 | 13672 |
| हरिद्वार | 15 | मंगलौर | 41439 | 414 | 41025 | 41439 |
| | 16 | लक्सर | 22638 | 226 | 22412 | 22638 |
| | 17 | शिवालिक नगर | 29092 | 291 | 28801 | 29092 |
| नैनीताल | 18 | नैनीताल | 46463 | 465 | 45998 | 46463 |
| | 19 | रामनगर | 46966 | 470 | 46496 | 46966 |
| | 20 | भंवाली | 15266 | 153 | 15113 | 15266 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पौड़ी गढ़वाल | 21 | दुगड्डा | 13751 | 138 | 13613 | 13751 |
| | 22 | पौड़ी | 34784 | 348 | 34436 | 34784 |
| | 23 | श्रीनगर | 33203 | 332 | 32871 | 33203 |
| पिथोरागढ़ | 24 | पिथौरागढ़ | 53161 | 532 | 52629 | 53161 |
| | 25 | धारचूला | 17388 | 174 | 17214 | 17388 |
| | 26 | डीडीहाट | 17388 | 174 | 17214 | 17388 |
| रुद्रप्रयाग | 27 | रुद्रप्रयाग | 18797 | 188 | 18609 | 18797 |
| टिहरी | 28 | नरेंद्रनगर | 11833 | 118 | 11715 | 11833 |
| | 29 | टिहरी | 30352 | 304 | 30048 | 30352 |
| | 30 | मुनि की रेती ढालवाला | 28880 | 289 | 28591 | 28880 |
| | 31 | चम्बा | 12080 | 121 | 11959 | 12080 |
| | 32 | देवप्रयाग | 17570 | 176 | 17394 | 17570 |
| ऊधम सिंह नगर | 33 | बाजपुर | 26735 | 267 | 26468 | 26735 |
| | 34 | गदरपुर | 20937 | 209 | 20728 | 20937 |
| | 35 | जसपुर | 43694 | 437 | 43257 | 43694 |
| | 36 | खटीमा | 45881 | 459 | 45422 | 45881 |
| | 37 | किच्छा | 59754 | 598 | 59156 | 59754 |
| | 38 | सितारगंज | 28265 | 283 | 27982 | 28265 |
| | 39 | महुआखेड़ागंज | 13548 | 135 | 13413 | 13548 |
| उत्तरकाशी | 40 | उत्तरकाशी | 31395 | 314 | 31081 | 31395 |
| | 41 | बड़कोट | 16493 | 165 | 16328 | 16493 |
| | 42 | चिन्यालीसौड़ | 16493 | 165 | 16328 | 16493 |
| योग (2) | | | **1160945** | **11613** | **1149332** | **1160945** |

## 3—नगर पालिका परिषद (नव सृजित)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऊधम सिंह नगर | 43 | नगला | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| योग (3) | | | **2500** | **0** | **2500** | **2500** |
| योग नगर पालिका परिषदें | | | **1163445** | **11613** | **1151832** | **1163445** |

## 4—नगर पंचायतें

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्मोड़ा | 1 | द्वाराहाट | 5701 | 57 | 5644 | 5701 |
| | 2 | भिकियासैंण | 4356 | 44 | 4312 | 4356 |
| | 3 | चौखुटिया | 4356 | 44 | 4312 | 4356 |
| बागेश्वर | 4 | कपकोट | 4070 | 41 | 4029 | 4070 |
| चमोली | 5 | नन्दप्रयाग | 6155 | 62 | 6093 | 6155 |
| | 6 | पोखरी | 6128 | 61 | 6067 | 6128 |
| | 7 | थराली | 3779 | 38 | 3741 | 3779 |
| | 8 | पीपलकोटी | 6532 | 65 | 6467 | 6532 |
| | 9 | गैरसैंण | 7432 | 74 | 7358 | 7432 |
| | 10 | बनबसा | 4414 | 44 | 4370 | 4414 |
| हरिद्वार | 11 | झबरेड़ा | 14397 | 144 | 14253 | 14397 |
| | 12 | लंढौर | 18019 | 180 | 17839 | 18019 |
| | 13 | भगवानपुर | 11348 | 113 | 11235 | 11348 |
| | 14 | पिरान कलियर | 12759 | 128 | 12631 | 12759 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नैनीताल | 15 | कालाढूँगी | 9389 | 94 | 9295 | 9389 |
| | 16 | लालकुआँ | 9409 | 94 | 9315 | 9409 |
| | 17 | भीमताल | 19920 | 199 | 19721 | 19920 |
| पौड़ी गढ़वाल | 18 | स्वर्गाश्रम | 11102 | 111 | 10991 | 11102 |
| | 19 | सतपुली | 4755 | 48 | 4707 | 4755 |
| पिथोरागढ़ | 20 | गंगोलीहाट | 6174 | 62 | 6112 | 6174 |
| | 21 | बेरीनाग | 6558 | 66 | 6492 | 6558 |
| रुद्रप्रयाग | 22 | अगत्स्यमुनि | 7055 | 71 | 6984 | 7055 |
| | 23 | उखीमठ | 6265 | 63 | 6202 | 6265 |
| | 24 | तिलवाड़ा | 4356 | 44 | 4312 | 4356 |
| टिहरी | 25 | कीर्तिनगर | 6319 | 63 | 6256 | 6319 |
| | 26 | घनसाली | 6354 | 64 | 6290 | 6354 |
| | 27 | गजा | 4139 | 41 | 4098 | 4139 |
| | 28 | लम्बगांव | 4356 | 44 | 4312 | 4356 |
| | 29 | चमियाला | 4366 | 44 | 4322 | 4366 |
| ऊधम सिंह नगर | 30 | महुआडावरा | 7417 | 74 | 7343 | 7417 |
| | 31 | सुल्तानपुर | 7936 | 79 | 7857 | 7936 |
| | 32 | केलाखेड़ा | 8900 | 89 | 8811 | 8900 |
| | 33 | दिनेशपुर | 10018 | 100 | 9918 | 10018 |
| | 34 | शक्तिगढ़ | 7273 | 73 | 7200 | 7273 |
| | 35 | नानकमत्ता | 6063 | 61 | 6002 | 6063 |
| | 36 | गूलरभोज | 4994 | 50 | 4944 | 4994 |
| उत्तरकाशी | 37 | पुरोला | 9569 | 96 | 9473 | 9569 |
| | 38 | नौगांव | 4639 | 46 | 4593 | 4639 |
| योग (4) | | योग | **286772** | **2871** | **283901** | **286772** |
| **5–नगर पंचायतें (नव सृजित)** | | | | | | |
| हरिद्वार | 39 | सुल्तानपुर–आदमपुर | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| | 40 | पाडली गुर्जर | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| | 41 | ढण्डेरा | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| | 42 | रामपुर | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| | 43 | इमलीखेड़ा | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| टिहरी गढ़वाल | 44 | तपोवन | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| पौड़ी गढ़वाल | 45 | थलीसैंण | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| बागेश्वर | 46 | गरूड़ | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| उधमसिंह नगर | 47 | लालपुर | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| | 48 | सिरौलीकला | 0 | 0 | 0 | 0 |
| देहरादून | 49 | सेलाकुई | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |
| योग (5) | | | **25000** | **0** | **25000** | **25000** |
| योग नगर पंचायतें (4+5) | | | **311772** | **2871** | **308901** | **311772** |
| महायोग | | | **2457619** | **24308** | **2433311** | **2457619** |

(₹ दो सौ पैंतालीस करोड़ छियहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 13-06-2023 11:48:10
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव